श्वेत क्रांति 2.0

❖ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने "श्वेत क्रांति 2.0" योजना की घोषणा की।
- 1970 में शुरू किए गए श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड) ने भारत में डेयरी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव को प्रेरित किया था।

❖ श्वेत क्रांति 2.0 :

- श्वेत क्रांति 2.0 का विचार मुख्यतः सहकारी समितियों के इर्द-गिर्द ही केन्द्रित है, जिसने ऑपरेशन फ्लड के बेहतर कार्यान्वयन में भी भूमिका निभाई थी।
- 2023-24 में डेयरी सहकारी समितियों ने प्रतिदिन 660 लाख किलोग्राम दूध खरीदा, जिसे सरकार 2028-29 तक बढाकर 1007 लाख kg प्रतिदिन करना चाहती है।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार सरकारी समितियों की करवेज बढाने पर ध्यान दे रही है।
- सहकारिता मंत्रालय के अनुसार "श्वेत क्रांति 2.0" से न केवल अछूते क्षेत्रों में डेयरी किसानों की बाजार तक पहुँच सुनिश्चित होगी, बल्कि विशेषकर महिलाओं के रोजगार में वृद्धि के माध्यम से उनका आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण भी होगा।

❖ विस्तार की संभावना :

- 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके बाद से इसने सहकारी समितियों, विशेषकर डेयरी सहकारिता पर ज्यादा ध्यान दिया है।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानि NDDB (भारत में डेयरी उद्योग की नियामक संस्था) के अनुसार, डेयरी सहकारी समितियाँ (DCS) देश के लगभग 70% जिलों में कार्यरत है।
- लगभग 1.7 लाख DCS लगभग 2 लाख गाँवों (कुल गाँवों का 30%) एवं 22% दुग्ध उत्पादकों को कवर करती है।
- ये DCS देश में कुल दूध उत्पादन का लगभग 10% एवं मार्केटिंग अधिशेष का लगभग 16% खरीदती है।
- गुजरात, केरल, पुदुचेरी एवं गोवा के 70% गाँव DCS के कवरेज में आते हैं, वहीं UP, MP, उत्तराखंड एवं जम्मू-कश्मीर में यह कवरेज 10-20% ही है।
- इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ, झारखंड, हिमाचल प्रदेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों में यह कवरेज 10% से भी कम है।

❖ कवरेज विस्तार एवं फंडिंग :

- NDDB ने अगले 5 वर्षों में 56000 नए बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों करने एवं 46000 DCS (मौजूदा) को उन्नत करने की कार्ययोजना तैयार की है।
- इस प्रकार के नए DCS UP, राजस्थान, आंध्रप्रदेश एवं ओडिशा में स्थापित किए जाएंगे।
- इससे पूर्व फरवरी 2023 में NDDB ने जींद (हरियाणा), इंदौर (मध्यप्रदेश) एवं चिकमंगलूर (कर्नाटक) में कवर न किए गए ग्राम पंचायतों में 3.8 करोड रूपये की लागत से DCS की स्थापना से पायलट प्रोजेक्ट शुरू की।
- इस प्रोजेक्ट के तहत स्थापित 79 DCS वर्तमान में 2500 डेयरी उत्पादकों से प्रतिदिन 15000 लीटर दूध खरीद रही है।
- श्वेत क्रांति 2.0 के लिये अधिकांश फंडिंग राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम द्वारा की जाएगी, जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है।
- योजनानुसार मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिये गाँव स्तर पर दूध खरीद प्रणाली, कोल्ड-स्टोरेज प्रणाली तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिये वित्तीय मदद दी जाएगी।
- योजना के तहत 1000 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को प्रत्येक समिति के लिये NDDB के तरफ से 40,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

❖ उत्पादन परिदृश्य :

- भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक है, जिसका उत्पादन 2022-23 में 230 मिलियन टन था, जो वैश्विक उत्पादन का 24% है।
- 1951-52 में भारत में कुल दूध उत्पादन सिर्फ 17 मिलियन टन था।

Note :- उत्पादकता के मामले में नीदरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त है।

Result Mitra TM

- भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, जो वैश्विक औसत 323 ग्राम प्रतिदिन से काफी ज्यादा है।
- बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 के आंकडों के अनुसार UP (15.72%), राजस्थान (14.44%), MP (8.73%), गुजरात (7.5%) एवं आंध्रप्रदेश (6.7%) भारत के 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है।
- आंकडों के अनुसार कुल दूध उत्पादन में देशी भैंसों का योगदान 32%, संकट मवेशियों का योगदान 29.8%, अज्ञात भैंसों का योगदान 12.87%, देशी मवेशियों का योगदान 10.73%, अज्ञात मवेशियों का योगदान 9.5%, विदेशी गायों का योगदान 1.8% तथा बकरियों का योगदान 3.3% है।
- 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल दूध उत्पादन 188 मिलियन टन से बढकर 231 मिलियन टन अवश्य हुआ, लेकिन उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 6.5% से घटकर 3.83% हो गया।

❖ महत्व :

- डेयरी क्षेत्र ने 2022-23 में कृषि संबद्ध क्षेत्र में कुल उत्पादन मूल्य में 40% (11.16 लाख करोड रूपये) का योगदान दिया।
- इसके अलावा यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 8.5 करोड लोगों को आजीविका प्रदान करता है, जिसमें ज्यादातर महिलाएँ है।
- कुल दूध उत्पादन का लगभग 63% बाजार तक पहुँचता है, जबकि शेष उत्पादकों द्वारा स्वयं उपभोग कर लिया जाता है।

❖ संविधान में प्रावधान :

- 2011 में 97वें संविधान संशोधन एक्ट द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- अनुच्छेद-19 के तहत सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मूल अधिकार है।
- 43 B में राज्य नीति-निदेशक तत्व के एक भाग में भी इन समितियों से संबंधित प्रावधान है।
- संविधान के भाग 1XB में अनुच्छेद 243ZH – 243ZT तक सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है।

Result Mitra TM